सरकार के घोटालों की एफ.आई.आर.कराने की मांग कर रहे सांसद किरोड़ी मीणा को गिरफ्तार किया

जयपुर। गहलोत सरकार के जलदाय विभाग में 20 हज़ार करोड़ व खान विभाग में 66 हज़ार करोड़ रुपए के खनन घोटाले का गंभीर आरोप लगाकर घोटालों की एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर दो दिन से धरने पर बैठे सांसद किरोड़ी लाल मीणा को आज सुबह अशोक नगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया।

इसके पहले सांसद मीणा करीब 1 घंटे थाने के समीप ही सड़क पर बैठ गए। इस दौरान पुलिस ने समझाइश की। बाद में पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर चाकसू थाने ले गई। इस दौरान चाकसू थाने के बाहर सांसद मीणा के सैकड़ों समर्थक इकट्ठा हो गए जिन्होंने गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान चाकसू थाने में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी पहुंचे। इस दौरान सांसद मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पुलिस मेरी आवाज को दबा नहीं सकती। मीणा ने कहा कि सरकार में हुए घोटालों के लिए पहले भी लड़ा था, अभी भी लड़ रहा हूं और आगे भी लड़ूंगा।

अशोक नगर थाने के बाहर से पुलिस ने जब सांसद किरोड़ी लाल मीणा का धरना स्थल और उस पर लगे टेंट को हटाया तो वे नाराज होकर बीच सड़क पर धरना देने बैठ गये।

सांसद मीणा ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार के मामले को लेकर अशोक नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गहलोत सरकार दावा करती है कि हम परिवादी की तुरंत एफआईआर दर्ज करते हैं लेकिन सीएम गहलोत ने एफ आई आर दर्ज करावाने की बजाय धरना स्थल से गिरफ्तार करवा लिया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चाकसू थाने पहुंचकर कहा कि शुक्रवार को राज्यपाल कलराज मिश्रा को इस अन्याय के ख़िलाफ ज्ञापन देंगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की कोर कमेटी बैठकर इस मामले में आगे की रणनीति की रूपरेखा तैयार करेंगे। इसके बाद डॉ मीणा और सैकड़ों समर्थक थाने से रवाना हुए।

- 'गहलोत की पुलिस मेरी आवाज को दबा नहीं सकती, परिवादी की सुनवाई करने के बजाय सीएम ने पुलिस से गिरफ्तार कराया'

राज्यपाल कलराज मिश्र को बीमा लोकपाल रिपोर्ट सौंपी

राज्यपाल कलराज मिश्र को प्रदेश के बीमा लोकपाल राजीव दत्त शर्मा ने गुरूवार को राजभवन में बीमा लोकपाल की वार्षिक रिपोर्ट-2022-23 की प्रति सौंपी। इस रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान लोकपाल कार्यालय में 1911 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 679 शिकायत जीवन बीमा संबंधित, 295 सामान्य बीमा से और 937 शिकायत स्वास्थ्य खंड बीमा से संबंधित थीं। इन सभी शिकायतों का निपटारा इसी वित्तीय वर्ष में कर दिया गया है। बीमा लोकपाल ने राज्यपाल को अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्त शिकायतों की संख्या में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस अवसर पर सचिव राजेश जलोडिया, उप सचिव राजेश कुमार पारीक व बीमा लोकपाल एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

'भाजपा-आरएसएस नहीं, गहलोत सरकार की तुष्टीकरण नीति दंगों के लिए जिम्मेदार'

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा, ''चुनाव आते ही गोभक्त हो जाते हैं मुख्यमंत्री''

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आरएसएस और भाजपा पर की गई टिप्पणी को लेकर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया। शेखावत ने कहा कि आरएसएस और भाजपा के खिलाफ आज तक दंगे भड़काने का कोई प्रमाण नहीं मिला है, जबकि गहलोत सरकार की तुष्टीकरण नीति राजस्थान में दंगों के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस की धार्मिक भेदभाव की सोच और प्रशासन की ढिलाई जिम्मेदार है।

गुरुवार को अपने बयान में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि भाजपा-आरएसएस दंगों की राजनीति में विश्वास नहीं करते। भाजपा-आरएसएस के खिलाफ आज तक दंगे भड़काने का कोई प्रमाण नहीं मिला है, जबकि गहलोत सरकार की तुष्टीकरण नीति के चलते पहले करौली में दंगा भड़का, फिर उसके बाद भीलवाड़ा और जोधपुर में दंगे हुए। इस सरकार की तुष्टीकरण नीति के चलते उदयपुर में निर्दोष कैन्हयालाल टेलर का सिर काट दिया गया। शेखावत ने कहा कि गहलोत सरकार में तुष्टीकरण की हालत यह है कि दंगों की जांच और आरोपियों को पकड़ने में भी धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जाता है। यही कारण है कि इनकी कमजोर पैरवी के चलते जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपी हाईकोर्ट से छूट गए। हद तो यह है कि अपनी तुष्टीकरण नीति को देखने के बजाय मुख्यमंत्री दूसरों पर आरोप लगाते हैं। शेखावत ने कहा कि इससे जनता में आक्रोश है और आगामी चुनाव में यह कांग्रेस की हार के रूप में सामने आएगा। शेखावत ने कहा कि चुनाव का समय आते ही मुख्यमंत्री गोभक्त हो जाते हैं। गोदान करने का राग अलापते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि राजस्थान में लाखों गायें लंपी से मर गई थीं। उनके उपचार में उनकी सरकार पूरी तरफ विफल साबित हुई। अब सरकार ने मात्र 76 हजार मौतें लंपी से मानी है जबकि इस महामारी में लाखों गायें मारी थीं। गोपालकों को मुआवजा देने का ढोल तो पीटा जा रहा है, लेकिन वह अभी तक पूरा नहीं दिया गया। शेखावत ने कहा कि राज्य में अभी तक 42 हजार दुधारू गायों का ही मुआवजा दिया है, जबकि पशुपालकों को राहत शिविरों में बुलाकर परेशान किया जा रहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा है कि मुख्यमंत्री आरएसएस और भाजपा को कोसने से बाज़ आए। प्रदेश में दंगे आरएसएस और भाजपा नहीं अशोक गहलोत की तुष्टिकरण नीति करवाती है, जितनी भी साम्प्रदायिक घटनायें हुई हैं, उनके पीछे कांग्रेस की वोटों की राजनीति है। पर्दे के पीछे रह कर आग लगाने का काम कांग्रेस का है, संघ और भाजपा तो कांग्रेस की लगाई हुई आग को बुझाती है। आये दिन संघ के ख़िलाफ़ एक ही राग अलापने वाले गहलोत शायद भूल गये कि देश की आजादी के समय जब पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर सीमा लांघने की कोशिश की, तो सैनिकों के साथ संघ के स्वयंसेवकों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए प्राण दिए थे।

- पर्दे के पीछे रह कर आग लगाने का काम कांग्रेस का, संघ और भाजपा का काम तो आग बुझाने का है : राजे

भाजपा ने तूफान पीड़ितों के लिए शुरू की हैल्पलाइन

जयपुर। बिपरजाय तूफ़ान से प्रभावित पीड़ितों की समस्याओं के समाधान व सहायता के लिए भाजपा की ओर से हैल्पलाइन सेवा प्रारंभ की गई है। इस हैल्पलाइन का नंबर 8929208080 रखा गया है। हेल्पलाइन पर जानकारी प्राप्त होने के बाद केंद्र एव राज्य सरकार से तुरन्त संपर्क कर पीड़ित व्यक्तियों की मदद की जाएगी।

हैल्पलाइन की मॉनिटरिंग के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, प्रदेश प्रबुद्धजन प्रकोष्ठ के संयोजक राजेंद्र सिंह शेखावत एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के सह संयोजक सुनील कुमावत रहेंगे।

आशा सहयोगिनियों का मानदेय बढ़ा

जयपुर। प्रदेश में मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में आंगनबाड़ी केन्द्रों की अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की 55816 आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 15 प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वृद्धि के बाद इनका मानदेय 3564 से बढ़ कर 4098 रुपए प्रतिमाह हो जाएगा।

'स्वीकृत हुई पूरी लोन राशि नहीं देना फाइनेंस कंपनी का सेवादोष'

जयपुर, (का.सं.)। जयपुर मेट्रो की स्थाई लोक अदालत ने कहा है कि उपभोक्ता का लोन स्वीकृत करने के बाद उसे स्वीकृत हुए लोन की पूरी राशि नहीं देना फाइनेंस कंपनी का सेवादोष है। ऐसे में फाइनेंस कंपनी से उसने जितनी लोन राशि ली है वह उतनी ही राशि चुकाने के लिए जिम्मेदार है, फिर चाहे फाइनेंस कंपनी ने उसे ज्यादा राशि का लोन ही मंजूर किया हो। वहीं अदालत ने परिवादी को कहा है कि वह लोन की बकाया राशि 17,520 रुपए विपक्षी फाइनेंस कंपनी को जमा कराए। स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष हरविन्दर सिंह व सदस्य शंभू दयाल शर्मा ने यह आदेश महेश सैनी के परिवाद पर दिए।

परिवाद में कहा गया कि आदित्य बिरला फाइनेंस कंपनी ने 28 फरवरी 2019 को उसका 2.40 लाख रुपए का लोन मंजूर किया था। परिवादी की स्वीकृति मिलने पर कंपनी ने उसके बैंक खाते में एनईएफटी के जरिए 1,09,520 रुपए भेज दिए, लेकिन स्वीकृत लोन की बकाया राशि 1,30,480 रुपए उसे नहीं दी। परिवाद में कहा गया कि फाइनेंस कंपनी उससे मासिक किस्त लोन राशि 2.40 लाख रुपए पर ही ले रही है। जबकि मासिक किस्त एक लाख नौ हजार 520 रुपए पर ही लेनी चाहिए थी। इस पर उसने लोन अकाउंट बंद करने के लिए कहा तो कंपनी ने एक साल के लॉक इन पीरियड का हवाला देकर मना कर दिया। इसे स्थाई लोक अदालत में चुनौती देते हुए कहा कि उसे स्वीकृत लोन राशि की बजाय कम राशि दी गई। ऐसे में मासिक किस्त स्वीकृत लोन के आधार पर लेना गलत है। इससे परिवादी को मानसिक संताप हो रहा है। इस पर अदालत ने कहा कि परिवादी लिए लोन के पेटे 92 हजार रुपए दे चुका है, इसलिए वह बकाया 17,520 रुपए ही फाइनेंस कंपनी में जमा कराए।

नगीना व्यापारी ने जहर खाकर आत्महत्या की

जयपुर (कासं)। गलता गेट क्षेत्र के के मोहल्ला इच्छावतान बदनपुरा में रहने वाले नगीना व्यापारी ने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड से पहले उसने वीडियो बनाकर अपने बिजनेस पार्टनर्स पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। वीडियो में कहा है कि मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि अब आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है।

पुलिस ने बताया कि बिजनेसमैन आबिद खान (40) ने अपने ही घर में बुधवार दोपहर 3 बजे जहर खा लिया था। तबीयत खराब होने के बाद परिजन उसे लेकर एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे थे। यहां रात साढ़े 10 बजे उसकी मौत हो गई थी। हॉस्पिटल से जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया।

आबिद की जेब से सुसाइड नोट मिला था। इसमें अंसार और लतीफ नाम के दो युवकों का नाम था। सुसाइड नोट में लिखा था कि वह इन दोनों की वजह से अपनी जान दे रहा है। इधर, जब आबिद का मोबाइल खंगाला गया तो उसमें से सुसाइड से पहले का एक वीडियो भी मिला है। इस घटना के बाद बुधवार रात में ही आबिद के छोटे भाई वाजिद खान की रिपोर्ट पर लतीफ व अंसार के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। आबिद (मृतक) के भाई वाजिद खान ने बताया कि अंसार और लतीफ के साथ आबिद नगीनों का बिजनेस करता था। रामगंज थाने में अंसार और लतीफ ने धोखाधड़ी का मामला आबिद के खिलाफ दर्ज करवाया था। मामले में लगने के बाद साल 2020 से आबिद अपना कारोबार अलग करने लगा। इसके बाद से दोनों उसके भाई को टॉर्चर कर रहे थे।

रोडवेज की बसों में अब महिलाओं का लगेगा आधा किराया

जयपुर। राज्य सरकार ने महिलाओं को रोडवेज की बसों में सफर करने पर रियायत का दायरा बढ़ा या है। अब महिलाओं/बालिकाओं को राज्य की सीमा में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर 50 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर महिलाओं/बालिकाओं का आधा किराया ही लगेगा। अभी महिलाओं/बालिकाओं को केवल साधारण श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही थी।

हाईकोर्ट ने गजेन्द्र सिंह शेखावत को नोटिस भेजा

अदालत ने पूछा कि ए.सी.बी. को उनके वॉइस सैम्पल लेने की अनुमति क्यों ना दे दी जाए

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुडे मामले में वायरल हुई ऑडियो क्लिप को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह को नोटिस जारी कर पूछा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो (ए.सी.बी.) को उनकी वॉइस सैंपल लेने की अनुमति क्यों ना दे दी जाए। जस्टिस सीके सोनगरा की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की याचिका पर दिए।

याचिका में अतिरिक्त महाधिवक्ता घनश्याम सिंह राठौड़ ने अदालत को बताया कि निचली अदालत ने गलत तरीके से ए.सी.बी. के प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। निचली अदालत ने जिस आधार पर वॉइस सैंपल लेने के संबंध में ए.सी.बी. का प्रार्थना पत्र को खारिज किया है, वह प्रावधान ब्लड सैंपल और हैंडराइटिंग के सैंपल लेने के मामले में लागू होता है। जबकि यह मामला वॉइस सैंपल लेने का है। जांच एजेंसी गिरफ्तार किए बिना भी वॉइस सैंपल ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी पूर्व में अन्य मामले में तय कर चुका है कि इस संबंध में संसद की ओर से स्पष्ट कानून बनाने तक मजिस्ट्रेट वॉइस सैंपल लेने की अनुमति दे सकते हैं। ऐसे में निचली अदालतों के आदेश को रद्द करते हुए ए.सी.बी.को गजेन्द्र सिंह की वॉइस सैंपल लेने की अनुमति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने गजेन्द्र सिंह को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

गौरतलब है कि जुलाई, 2020 में तीन ऑडियो क्लिप वायरल हुई थीं, जिसमें विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर बातचीत की जा रही थी। आरोप है कि इस ऑडियो क्लिप में केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह और संजय जैन की आवाज है। ऑडियो क्लिप के आधार पर पहले एसओजी ने मामला दर्ज किया था। वहीं बाद में एसओजी की ओर से क्षेत्राधिकार के आधार पर एफ.आर. पेश की गई थी। दूसरी ओर इसी मामले में एसीबी ने भी संजय जैन, विधायक भंवरलाल शर्मा और गजेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था तथा संजय जैन को गिरफ्तार भी किया था। इसके बाद निचली अदालत ने एसीबी को संजय जैन का वॉइस सैंपल लेने की अनुमति दी थी, लेकिन संजय ने सैंपल देने से मना कर दिया था। वहीं निचली अदालत ने गजेन्द्र सिंह का सैंपल लेने के लिए ए.सी.बी. की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ पेश रिवीजन को ए.डी.जे. कोर्ट ने खारिज कर दिया था। राज्य सरकार की ओर से इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

- हाईकोर्ट ने यह नोटिस विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में एक वायरल ऑडियो क्लिप के संबंध में दिया है। आरोप है कि, उस ऑडियो क्लिप में शेखावत की आवाज है।

प्रदेश में करोना से एक संक्रमित की मौत

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में गुरूवार को एक संक्रमित की करोना से मौत हो गई है। वहीं इस बीच राज्य में एक नया मरीज मिला है। प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में पांच संक्रमितों के रिकवर होने से एक्टिव केस घटकर 8 रह गए हैं।

प्रदेश में गुरूवार को उदयपुर में एक नया संक्रमित पाया गया है। इससे पहले राज्य में बुधवार को भी एक रोगी मिला था। इधर राज्य में आज 1665 कोविड जांच की गई है।

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में उदयपुर में पांच संक्रमितों के ठीक होने से एक्टिव केस घटकर 8 रह गए हैं। इनमें छह मामले जयपुर में है। प्रदेश में गुरूवार को करोना से दौसा में एक संक्रमित की मौत हो गई है।

नम्बर मिलाइए
9587884433

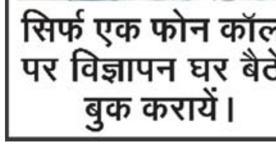

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

मोदी की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाए कार्यकर्ता : अरूण चतुर्वेदी

जयपुर। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं केबिनेट मंत्री रहें डॉ.अरूण चतुर्वेदी ने सिविल लाइन विधान सभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की टिफिन बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं का आव्हान किया है की वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लिए गए निर्णयों, योजनाओं की जानकारी से हर व्यक्ति को अवगत कराए।

डॉ.चतुर्वेदी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति कर भारत का नाम दुनिया में रोशन किया है इसीलिए अब हमारा देश विश्व शक्ति के रूप में सामने आया है। मोदी के शासन में हर वर्ग के उत्थान का काम किया गया है। इस अवसर पर जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने केंद्र सरकार के कार्यों की चर्चा करते हुए 9 साल बनाम 66 साल की तुलना की। उन्होंने जयपुर रेल्वे स्टेशन के विकास की चर्चा करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जयपुर जंक्शन के लिए 727 करोड़, गांधीनगर स्टेशन के लिए 217 करोड़ और खातीपुरा स्टेशन के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट पास कर जयपुर को पर्यटन स्थल के रूप में मान दिया है। बैठक में सिविल लाइन विधान सभा क्षेत्र के कार्यर्ताओं ने अपने-अपने घर से लाए भोजन का आनंद लेकर एक दूसरे की मनुहार की।

बैठक में प्रदेश कार्य समिति सदस्य रणजीत सिंह, शहर उपाध्यक्ष रवि शर्मा, शहर मंत्री रेखा राठौड, पूर्व कोषाध्यक्ष सुनील भार्गव, सिविल लाइंस विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, निर्मल राजपुरोहित, दिनेश यादव, राकेश गुर्जर सहित मोर्चो के अध्यक्ष, समस्त पार्षद, मंडल पदाधिकारी एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे।

भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं केबिनेट मंत्री रहे डॉ.अरूण चतुर्वेदी ने गुरूवार को सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की टिफिन बैठक में भाग लिया।

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन आदेश 5 के नियम 1 और 5
वाद संख्या-324/2022
नाम न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर
श्रीनारायण विरुद्ध जगदीश वगैराह
वाद बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
नाम (1) जगदीश पुत्र गणेश (2) उर्मिला पुत्री किशन (3) कमल पुत्र भंवरलाल (4) कमलेश देवी पत्नी श्रीकिशन (5) कमला देवी पत्नी सोहनलाल (6) कमली पुत्री भंवरलाल (7) कैलाशचन्द पुत्र छीतर (8) केसरलाल पुत्र किशन (9) किरण पुत्री रामप्रकाश (10) गजराज पुत्र राजूलाल (11) गुलाब पुत्र जोरा (12) गोपाल पुत्र गणेश (13) जयराम पुत्र लालचन्द (14) जयवीर पुत्र लालचन्द (15) दुर्गा पत्नी भंवरलाल (16) दिलीप पुत्र रामप्रकाश (17) दीपक मीणा पुत्र सोहनलाल (18) धन्नालाल पुत्र म्होरू (19) धोंकल पुत्र तिलोका (20) नन्दी देवी पुत्री घासी (21) नारू पुत्र प्रताप (22) नारंगी देवी पुत्री घासी (23) निकिता मीणा पुत्री बजरंगलाल नाबालिग जरिये संरक्षिक माता विमला देवी (24) पूजा मीणा पुत्री बजरंगलाल नाबालिग जरिये संरक्षिक माता विमला देवी (25) बद्रीनारायण पुत्र सुजाराम (26) बन्नालाल पुत्र म्होरू (27) बलवीर पुत्र रामप्रकाश (28) बाबूलाल पुत्र जोरा (29) भगवान पुत्र जोरा (30) भंवरलाल पुत्र घासी (31) मंगेज पुत्र जोरा (32) मुन्नी पत्नी मदनलाल (33) मुन्नी देवी पुत्री रामप्रकाश (34) मनोज पुत्र रामप्रकाश (35) रमेश चन्द पुत्र म्होरू (36) राजकिशोर पुत्र लल्लूलाल (37) रामवतार पुत्र किशन (38) रामेश्वरी देवी पत्नी घासी (39) रितु पुत्री राजूलाल (40) रोशनी पुत्री राजूलाल (41) रोहित मीणा पुत्र सोहनलाल (42) लल्लू पुत्र जोरा (43) लाली देवी पत्नी रामप्रकाश (44) विकास मीणा पुत्र बजरंगलाल (45) विमला देवी पत्नी बजरंगलाल (46) शंतान सिंह पुत्र रामप्रकाश (47) श्रवणलाल पुत्र घासी (48) शिशुपाल पुत्र सुजाराम (49) संतोष पत्नी श्रीनारायण (50) सुनीता पुत्री भंवरलाल (51) सुग्यार देवी पत्नी लालचन्द (52) साधना पुत्री सरदार (53) सायरमल पुत्र घासी (54) साविती पुत्री किशन (55) सीमा मीणा पुत्री सोहनलाल (56) सीमा देवी पुत्री राजूलाल (57) हनुमान पुत्र गणेश (58) हरिनारायण पुत्र सुजाराम (59) हीरालाल पुत्र छीतर समस्त जाति मीना निवासी ग्राम सिरसी तहसील व जिला जयपुर, (60) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर तहसील जयपुर जिला जयपुर, (61) उप पंजीयक जयपुर तृतीय, तहसील जयपुर जिला जयपुर (राज.) ने आपके विरूद्ध विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 23.06.2023 को दिन में 10.00 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसजात (हाजिर) होने के लिये सम्मन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं एवं किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धि सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश कर जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या ना हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा कि दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय संजात नही हुये तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति किया जायेगा। यह आज दिनांक 19/06/2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।
Court Stamp उपखण्ड अधिकारी जयपुर (प्रथम) जयपुर
1. यदि आपको यह आशंका है कि आपके साक्षी अपनी मर्जी से हाजिर नही होंगें तो आप किसी साक्षी को हाजिर होने के लिए विवश करने के लिए और ऐसी दस्तावेज पेश कराने के लिए जिसे पेश करने के लिए साक्षी से अपेक्षा करने का आपको अधिकार है सम्मन इस न्यायालय से आवेदन करके और आवश्यक खर्चों की रकम जमा कराके ले सकते हैं।
2. यदि आप दावे को स्वीकार करते है तो आपको चाहिए कि वाद के खर्च के साथ उस दावे का धन न्यायालय में जमा करा दे जिससे कि डिक्री का निष्पादन स्वयं आपके या आपकी सम्पत्ति या दोनों के विरूद्ध न करना पडें।

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन आदेश 5 के नियम 1 और 5
वाद संख्या-304/2022
नाम न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर
श्रीनारायण विरुद्ध जगदीश वगैराह
वाद बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
नाम (1) जगदीश पुत्र गणेश (2) अनिल कुमार पुत्र कैलाश चन्द (3) अनोप पुत्री हरनाथ (4) आचुकी पुत्री गणेश (5) उर्मिला पुत्री श्रीकिशन (6) कमल पुत्र भंवरलाल (7) कमलेश देवी पत्नी श्रीकिशन (8) कमली पुत्री भंवरलाल (9) कैलाशी पुत्री म्होरू (10) केसरलाल पुत्र श्रीकिशन (11) गुलाब देवी पत्नी धोकला (12) गोपाल पुत्र गणेश (13) जैना पुत्री गणेश (14) दुर्गा पत्नी भंवरलाल (15) दुर्गा पुत्र नारू (16) धन्नालाल पुत्र म्होरू (17) नरेन्द्र पुत्र दुवीलाल (18) पिंकी पुत्री कैलाशचन्द्र (19) फूलचन्द पुत्र धोकला (20) बन्नालाल पुत्र म्होरू (21) बादाम पत्नी हरनाथ (22) भंवरी देवी पत्नी कैलाशचन्द (23) मंगलचन्द पुत्र गणेश (24) मनोहरी पुत्री कैलाश चन्द्र (25) ममता पुत्री रामजीवण (26) म्होरी पत्नी म्होरू (27) मोहन पुत्र रामजीवण (28) रमेश चन्द पुत्र म्होरू (29) राधेश्याम पुत्र हरनाथ (30) रामचन्द्र पुत्र नारू (31) रामवतार पुत्र श्रीकिशन (32) रामेश्वर पुत्र धोकला (33) शान्ति पत्नी रामजीवण (34) सुन्दरी पत्नी नारू (35) सुनीता पुत्री भंवरलाल (36) सूरज पुत्री हरनाथ (37) सुरज्ञान पुत्र धोकला (38) सुरेंन्द्र कुमार पुत्र कैलाशचन्द्र (39) सरोज पत्नी सांवरमल (40) सावित्री पुत्री श्रीकिशन (41) सीता पुत्री रामजीवण (42) सीताराम पुत्र हरनाथ (43) सोनू पुत्री कैलाश चन्द्र (44) सोनी पुत्री गणेश (45) सोहन पुत्र म्होरू (46) हनुमान सहाय पुत्र गणेश (47) हंसा पुत्री कैलाश चन्द्र समस्त जाति मीना निवासी ग्राम सिरसी तहसील व जिला जयपुर, (48) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर तहसील जयपुर जिला जयपुर, (49) उप पंजीयक जयपुर तृतीय, तहसील जयपुर जिला जयपुर (राज.) ने आपके विरूद्ध विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 23.06.2023 को दिन में 10.00 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसजात (हाजिर) होने के लिये सम्मन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं एवं किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धि सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश कर जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या ना हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा कि दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी जो को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय संजात नही होंगें तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति किया जायेगा।
यह आज दिनांक 19.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।
Court Stamp उपखण्ड अधिकारी जयपुर (प्रथम) जयपुर
1. यदि आपको यह आशंका है कि आपके साक्षी अपनी मर्जी से हाजिर नही होंगें तो आप किसी साक्षी को हाजिर होने के लिए विवश करने के लिए और ऐसी दस्तावेज पेश कराने के लिए जिसे पेश करने के लिए साक्षी से अपेक्षा करने का आपको अधिकार है सम्मन इस न्यायालय से आवेदन करके और आवश्यक खर्चों की रकम जमा कराके ले सकते हैं।
2. यदि आप दावे को स्वीकार करते है तो आपको चाहिए कि वाद के खर्च के साथ उस दावे का धन न्यायालय में जमा करा दे जिससे कि डिक्री का निष्पादन स्वयं आपके या आपकी सम्पत्ति या दोनों के विरूद्ध न करना पडें।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य राकेश खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री सीताराम खण्डेलवाल, जाति महाजन, उम्र 55 वर्ष, निवासी प्लाट नम्बर 45, जयन्ती कॉलोनी, बांस बदनपुरा जयपुर के 1 पुत्र व एक पुत्री है जो कि पुत्र शुभम खण्डेलवाल मेरे अभिभाष्य के कहने में नहीं है। अतः मेरे अभिभाष्य ने अपने पुत्र शुभम खण्डेलवाल को अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है किसी भी व्यक्ति द्वारा उससे किये गये संव्यवहार एवं किये गये किसी भी कार्य का वह स्वयं जिम्मेदार रहेगा।
नईमुद्दीन आकिल/मोहम्मद शमीम, एडवोकेट
मो.9314656420, 9829110519

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक प्लॉट नम्बर 74 शंकर वाटिका, ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जयपुर राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 129.44 वर्गगज है कि भूमि का पट्टा विलेख क्रमांक 3167 दिनांक 16.10.2015 को जे.डी.ए. जयपुर द्वारा विजय लक्ष्मी शर्मा के हित में जारी किया गया। विजय लक्ष्मी शर्मा का स्वर्गवास 21.02.2018 को हो गया। उनके स्वर्गवास के पश्चात उक्त सम्पति में उनके विधिक व कानूनी उत्तराधिकारियों/वारिसान में उनके पति रमेश चन्द्र शर्मा, उनके पुत्र आरूणी शर्मा व अभिनव शर्मा संयुक्त मालिक स्वामी हुए। तत्पश्चात आरूणी शर्मा व अभिनव शर्मा ने अपने हिस्से का हक त्याग जरिये पंजीकृत हक त्याग द्वारा दिनांक 09.06.2023 को रमेश चन्द्र शर्मा के हित में त्याग कर दिया। इस प्रकार रमेश चन्द्र शर्मा उक्त सम्पति का एकमात्र मालि, स्वामी व अधिकारी है। रमेश चन्द्र शर्मा द्वारा उक्त सम्पति को किसी दीगर व्यक्ति को विक्रय किया जा रहा है। यह कि उक्त सम्पति बाबत यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, बैंक, वित्तीय संस्था, सगे सम्बन्धी या अन्य कोई वारिसान, जनसाधारण, इत्यादि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति, एतराज हो तो इस सूचना के प्रकाशन से सात दिवस की अवधि में मुझसे व्यक्तिगत रूप से मेरे निम्नलिखित ऑफिस पते पर अपनी आपत्ति/एेतराजात मय असल दस्तावेज सहित व्यक्त करें। सात दिवस की अवधि के पश्चात इस आम सूचना बाबत कोई भी आपत्ति/एेतराजात किसी भी न्यायालय में शून्य व निरस्त समझी जायेगी।
दिनांक-22.06.2023 बी.सी. सांखला, एडवोकेट
राजस्थान हाईकोर्ट, बार एसोसियेशन कोड-आर/1227/1999
पुराना रजि. नं. आर/2896/1999, मो. 9829063273

उत्तर पश्चिम रेलवे G20
ई-निविदा सूचना
संख्याः डब्ल्यू ए एसजी/2023-24 दिनांकः 20.06.2023
मंडल रेल प्रबन्धक (सिगनल व दूरसंचार) उत्तर पश्चिम रेल्वे अजमेर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से नीचे दिये गये कार्यों के लिये दी गयी तिथि को 15.00 बजे तक ई निविदा आमंत्रित की जाती है। **निविदा संख्या :** म.रे. प्र. (सिग व दूरसंचार)-06-2023-24 **कार्य का नाम :** Ajmer Division: Provision of signalling work in C/W Ajmer- Chittougarh (SL)-TRR(P)- 22.515 Tkm over Ajmer Division NWR. **अनुमानित लागत :** रूपये 19119769.80 **बयाना राशि :** रूपये 245600.00 ई निविदाये खोलने की तिथि व समय दिनांक 19.07.2023 को 15.30 बजे उपरोक्त ई निविदा की विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाईट का पता WWW.IREPS.GOV.IN 665-CQ/23
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

खोया पाया
मैं आदित्य शर्मा पुत्र परमानन्द शर्मा निवासी 25 विकास नगर मुरलीपुरा के पास जयपुर हूं कि मेरा प्लाट का मूल पट्टा क्रमांक 6116 और साइट प्लान गुम हो गया है जिसकी FIR दर्ज करा दी गई है। मिलने पर सूचित करें 7877747776

पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना आनन्द विहार के प्लॉट नं. ए-42 का सोसायटी पट्टा, रसीद ,साइट प्लान गुम हो गया है। सूचित करें- दिनेश शर्मा 9829050796

राजथान आवासन मण्डल, खण्ड-भिवाडी
क्रमांक-443 दिनांक-30..05.2023
आवश्यक सूचना हर आम एवं खास को इस पंजीकरण वर्ष 2006 में हित रखने वाले व्यक्ति विशेष को सूचित किया जाता है कि श्री भौरी लाल मीणा ने राशि 15000/- रुपये जमा करवाकर पंजीकरण संख्या 463 के द्वारा अरावली विहार भिवाडी में उच्च आय वर्ग आवास आवंटन हेतु पंजीकरण करवाया गया था। उक्त पंजीकरण के आधार पर वरियता क्रमांक BWD/06/HIG/G-3/HPS/PR-II/P-364 आरक्षित कर दिया गया है। उक्त पंजीकरण के पेटे अभी तक आवास का आवंटन नहीं किया गया है। श्री भौरी लाल मीणा की मृत्यु दिनांक 23.03.2014 को हो चुकी है।
श्रीमती बादामी देवी मीना ने प्रार्थना पत्र, आवश्यक प्रपत्र एवं श्री भौरी लाल मीणा की मृत्यु का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, अन्य वारिसानों के घोषणा पत्र एवं क्षतिपूर्ती बंधक पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है, कि इनके पति का स्वर्गवास दिनांक 23.03.2014 को हो जाने के कारण उपरोक्त पंजीकरण संख्या 463 अरावली विहार भिवाडी जिला अलवर का मृत्यु उपरान्त नाम हस्तान्तरण उनके नाम किया जाये।
अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त पंजीकरण संख्या 463, अरावली विहार भिवाडी के संबंध में पिता, पुत्र, पुत्रियाँ, भाई व अन्य किसी रिश्तेदार को किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड भिवाडी में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्रीमती बादामी देवी मीना पत्नी स्व. श्री भौरी लाल मीणा के पक्ष में उपरोक्त पंजीकरण संख्या 463 उच्च आय वर्ग, अरावली विहार भिवाडी जिला अलवर का मृत्यु उपरान्त हस्तान्तरण किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भिवाडी

OFFICE THE GRAM PANCHAYAT THOI PS-SRIMADHOPUR (SIKAR)
No. F.prnc/2023-24/68 Date- 22.06.2023
E-Tender Notice No. 01/2023-24
Bids for open tender of procurement of Construction Material for Work in MGNREGA And Other Seheme in Gram Panchayat THOI Panchayat Samitti Srimadhopur (Sikar) are invited from Firms/Suppliers Registered Under the GST act 2017, 6-00 PM of 03.07.2023. Other particulars of the bid may be visited on the procurement Portal http://sppp.raj.nic.in and http://eproc.rajasthan.gov.in) of the state and at Gram Panchayat THOI Office in all working days.
UBN-SMD2324GLRC00063
सरपंच ग्राम पंचायत थोई श्री माधोपुर (सीकर) — ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत थोई श्री माधोपुर (सीकर)